

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)
पीठासीन अधिकारी श्री सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)

अनुवान :- संतोष देवी बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र संख्या :- 141/2023

निर्णय दिनांक :- 24/06/24.....

संतोष देवी पत्नी कुरझाराम जाति जाट निवासी साहवा तहसील तारानगर जिला चूरु हाल आवादा नोहर जिला हनुमानगढ़।

बनाम

प्रार्थनी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहव तारानगर जिला चूरु

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट

उपस्थित :- 1. श्री अशोक सिहांग अभिभाषक वास्ते प्रार्थी

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरु वास्ते अप्रार्थी

-: निर्णय :-

प्रार्थनी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 एल.आर. एक्ट इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमि खसरा नं. 3682/922 तादादी 3.6333 हैक्ट. रोही मौजा ग्राम साहवा तहसील तारानगर जिला चूरु की खातेदार काश्तकार प्रार्थनी है। कृषि भूमि के पडोसियान हमेशा सीव बावत प्रार्थनी के साथ झगड़ा फसाद करते रहते हैं जिस कारण प्रार्थनी अपने खेत के चारो तरफ बाड़ बगैरह सही ढंग से नहीं कर सकती ना ही अपने खेत को सुधार सकती है। व उक्त कृषि भूमि गांव के निकट होने से आवारा पशुओं का खेत में घुसने व फसल को नष्ट करने का खतरा हमेशा बना रहता है। प्रार्थनी की कृषि भूमि मौका पर कम भी हो गई है। इसलिए प्रार्थनी अपनी कृषिभूमि की पैमाईश करवा कर इसके चारों ओर पत्थर गढ़ी करवाना चाहती है। आदि-आदि।

इस प्रकार प्रार्थनी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से राजपैरोकार उपस्थित। राजपैरोकार ने प्रकरण में राजहित नही होना जाहिर किया। इस प्रकार प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन पेश नही हुआ।

बहस वकील प्रार्थनी की सुनी गई। वकील प्रार्थनी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को ही दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार करने एवं विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया।



उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)

कृषि भूमि खसरा नं. 3682/922 तादादी 3.6333 हैक्ट. रोही मौजा ग्राम साहवा तहसील तारानगर जिला चूरु की रिकॉर्ड खातेदार है। भूमि प्रार्थनी की एकल खातेदारी में है। प्रार्थनी अपने खेत व काश्त की सुरक्षा के लिए चारों ओर निशानदेही देकर पत्थर गढ़ी करवाना चाहती है। प्रार्थनी की भूमि की पत्थरगढ़ी से किसी भी पक्ष को कोई नुकसान होना प्रतीत नहीं होता। प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन भी पेश नहीं हुआ है।

वर्णित विवेचन से प्रार्थनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है अतः स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार तारानगर को आदेश दिया जाता है कि वह पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुए राजस्व नक्शा के मुताबिक कृषि भूमि खसरा नं. 3682/922 तादादी 3.6333 हैक्ट. रोही मौजा ग्राम साहवा सीमाचिन्ह स्वयं अथवा नायब तहसीलदार के निर्देशन में राजस्व कार्मिक टीम से कायम करावें। सीमाचिन्ह कार्यवाही का समस्त खर्चा प्रार्थनी वहन करेगा। निर्णय की एक प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार को पालनार्थ भेजी जावे।

(सूर्यकान्त ^S आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)

आज दिनांक 24/06/24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



(सूर्यकान्त ^S आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)